[2019] 6 एस.सी.आर. 549

पीर सिंह

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 743/2012) अप्रैल 09, 2019

[न्यायमूर्तिगण एस ० ए ० बोबडे, संजय किशन कौल और दीपक गुप्ता]

दंड संहिता, 1860: धारा 302 सपठित धारा 148 एवं धारा 149 - हत्या - पंद्रह व्यक्तियों पर हत्या का मुकदमा चलाया गया - अभियोजन का मामला यह था कि पीड़ित-मृतक अपनी मोटर साइकिल पर अपने गांव लौट रहा था और उसके साथ दो सवारी भी थीं सवार, उनमें से एक पीडब्लू-8 था - जब वे अपने गांव के पास आए, तो पीड़ित-मृतक पर धारिया, तलवार आदि से लैस बड़ी संख्या में लोगों ने हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई - पीछे बैठे सवार भागने में सफल रहे और घटना के बारे में मृतका के पिता को सूचित किया गया। जो अन्य लोगों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे - रास्ते में, वे पीडब्लूएस से मिले जिन्होंने बताया कि उन्होंने घटना देखी - पुलिस ने घटनास्थल पर "देहाती नालिशी" दर्ज किया, जिसमें अपीलकर्ताओं का नाम नहीं था -अपीलार्थी सहित 7 व्यक्तियों की दोषसिद्धि - दोषसिद्धि के विरूद्ध अपील - अवधारित किया गया कि : अदालत में दर्ज किए गए पीडब्लू-1 के बयान में तीन अपीलकर्ताओं के नाम अनुपस्थित थे- पीडब्लू-5 और तीनों अपीलकर्ता एक ही क्षेत्र के थे और पीडब्लू अपीलकर्ताआें को जानते थे- चार हमलावरों के नाम बताने के बाद, अन्य हमलावरों के नाम न देने का कोई कारण नहीं था, यदि पीडब्लू-5 ने वास्तव में घटना स्थल पर उनकी पहचान की थी - अभियोजन पक्ष की ओर से एेसा कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था कि तीनों आरोपी-अपीलकर्ताओं के नाम "देहाती नालिशी" के साथ-साथ धारा 161 सीआरपीसी के तहत दर्ज पीडब्लू-5 के बयान में क्यों गायब थे? - पुनः, अदालत में पीडब्लू-5 ने यह नहीं कहा कि उसने तीन आरोपी-अपीलकर्ताओं की पहचान हमलावरों के रूप में की है - घटना के स्थान पर अपीलकर्ताओं की उपस्थिति के संबंध में गंभीर संदेह को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता संदेह के लाभ के हकदार हैं और दोषमुक्त किये जाते हैं।

न्यायालय ने अपील स्वीकार किया।

अवधारित किया गया कि: 1. घटना के तुरंत बाद "देहाती नालिशी" को घटनास्थल पर ही रिकॉर्ड किया गया था। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के अनुसार, पीडब्लू-5 सुबह 4.00 बजे तक घटनास्थल पर मौजूद था। इस दौरान, 549 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2019] 6 एस.सी.आर. पुलिस वहां थी. यह बहुत बेहतर होता अगर "देहाती नालिशी" को पीडब्लू-5 के कहने पर दर्ज किया गया होता जो न केवल एक चश्मदीद गवाह था बल्कि कुछ आरोपियों की पहचान भी कर सकता था। यद्यपि इस पहलू को नजरअंदाज कर दिया जाए, तथापि तथ्य यह है कि जब पीडब्लू-5 का बयान धारा 161 दं०प्र०सं० के अंतर्गत दर्ज किया गया था, तो उसने तीन अपीलकर्ताओं का नाम नहीं लिया था। जब अदालत में बयान दर्ज किया गया तो उसने कहा कि जब मृतक पर हमला किया जा रहा था, तो उसने (मृतक ने) पीछे बैठने वालों से कहा कि वे उसके घर जाएं और सूचित करें कि 'एस' के लोग उसे मार रहे हैं। यह तथ्य "देहाती नालिशी" में दर्ज तथ्य से बिल्कुल अलग है। [पैरा 10][553-जी-एच; 554-ए-बी]

2. अदालत में दिए गए पीडब्लू-1 और पीडब्लू-5 के बयानों में अन्य विसंगतियां है। अदालत में दर्ज किए गए पीडब्लू-1 के बयान में भी तीनों अपीलकर्ताओं के नाम अनुपस्थित थे। पीडब्लू-5 और तीनों अपीलकर्ता एक ही क्षेत्र के हैं और पीडब्लू-5 तीनों आरोपियों को जानता है, और जब वह चार हमलावरों का नाम बता सकता है, तो ऐसा कोई कारण नहीं

Vetted by- Aparna Tripathi-I, Additional District and Sessions Judge, Shahjahanpur, I.D. U.P. 1628

है कि वह अन्य हमलावरों का नाम क्यों नहीं ले सकता यदि उसने वास्तव में घटना स्थल पर ही उनकी पहचान कर ली थी। अभियोजन पक्ष की ओर से इस बारे में कोई प्रशंसनीय स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि इन तीन अभियुक्तों-अपीलकर्ताओं के नाम "देहाती नालिशी" के साथ-साथ धारा 161 सीआरपीसी के तहत दर्ज पीडब्लू -5 के बयान में क्यों गायब थे। इसके अलावा, अदालत में पीडब्लू-5 फिर से यह नहीं कहता है कि उसने तीन आरोपी-अपीलकर्ताओं की पहचान हमलावरों के रूप में की थी। इसलिए इन तीनों आरोपियों की घटना स्थल पर मौजूदगी को लेकर गंभीर संदेह पैदा होता है. संदेह का लाभ स्पष्ट रूप से अभियुक्त-अपीलकर्ताओं को मिलना चाहिए। उन्हें बरी कर दिया गया है. [पैरा 11,12][554-बी-ई]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 743 वर्ष 2012

दं०अ० संख्या 746 और 744 वर्ष 2012 के साथ 2001 की आपराधिक अपील संख्या 1354 वर्ष 2012 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर खंडपीठ के निर्णय और आदेश दिनांक 27.06.2011 से।

यू.आर. ललित, सुशील कुमार जैन, मीनाक्षी अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता, पुनीत जैन, हर्ष जैन, अभिनव देशवाल, सुश्री अंकिता गुप्ता, शैलेन्द्र शर्मा, पीर सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य

(सुश्री प्रतिभा जैन के लिए), एहतेशाम हाशमी, अकबर सिद्दीकी, सुश्री पल्लवी प्रताप अपीलार्थी के अधिवक्ता

वैभव श्रीवास्तव, डीएजी, चंदन कुमार, प्रद्युम्न कायस्थ (श्रीमती स्वरूपमा चतुर्वेदी के लिए) प्रतिवादी के लिए अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता द्वारा सुनाया गया।

1. तीनों अपीलों का निपटारा एक सामान्य निर्णय द्वारा किया जा रहा है क्योंकि वे एक घटना और विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय से उत्पन्न हुई हैं।

2. इस मामले का निर्णय करने के लिए आवश्यक तथ्य यह हैं कि 13/14 सितंबर 1992 की रात को ग्राम कलमा, देवास जिला, मध्य प्रदेश के पास बाबूसिंह की हत्या के लिए 15 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया था। विचारण न्यायालय ने 8 व्यक्तियों को दोषमुक्त कर दिया और 7 व्यक्तियों को दोषसिद्ध किया। गजराजसिंह, हरिसिंह, भगवानसिंह उर्फ भग्गू, पीरसिंह, गुलाबसिंह, शोभाराम और ठाकुरसिंह को विचारण न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 भा०दं०सं० सपठित धारा 148, 149 के अंतर्गत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी ठहराया था और सभी 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

3. जब उच्च न्यायालय में अपील लंबित थी तब हरिसिंह की मृत्यु हो गई, और इस न्यायालय में अपील के लंबित रहने के दौरान शोभाराम की मृत्यु हो गई, इसलिए, उनके खिलाफ अपील निरस्त कर दी गई। बार द्वारा हमें सूचित किया गया कि गुलाबसिंह और ठाकुरसिंह ने कोई अपील दायर नहीं की और वे पहले ही उन पर लगाई गई सजा काट चुके हैं। इस प्रकार, हमारे पास केवल गजराजसिंह, भगवानसिंह और पीरसिंह की अपीलें ही बची हैं।

4. इन अपीलों का निस्तारण कम समय में किया जा सकता है और इसलिए पूरे साक्ष्य का अवलोकन आवश्यक नहीं है। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि रात करीब साढ़े 11 बजे, 13/14 सितंबर, 1992 की मध्यरात्रि को, बाबूसिंह मोटरसाइकिल पर देवास से अपने गांव कलमा लौट रहे थे। उनके साथ गट्टू (पीडब्लू-8) और वासु (परीक्षा नहीं की गई) थे जो पीछे बैठे थे। जब वे निकट आ रहे थे कलमा गांव में उन पर बड़ी संख्या में लोगों ने हमला किया जो धारिया, तलवार आदि से लैस थे। हमले के बाद, मोटरसाइकिल गिर गई और हमलावरों, जिसमें अभियोजन पक्ष के अनुसार सभी 15 आरोपी शामिल थे, ने बाबूसिंह पर हमला किया उनमें से कुछ ने बाबूसिंह पर धारदार हथियारों से वार किए गए और चोटों के परिणामस्वरूप बाबूसिंह की मृत्यु हो गई। हमारे सामने यह विवादित नहीं है कि क्या वास्तव में बाबूसिंह की

हत्या की गई थी। एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या तीनों अपीलकर्ता घटनास्थल पर मौजूद थे या नहीं ? सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2019] 6 एस.सी.आर.

5. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि पीछे बैठने वाला गट्टू (पीडब्लू-8) गांव गया, उसने बाबूसिंह के पिता यानी मोतीसिंह (पीडब्लू-1) का घर ढूंढ़ा और उसे सूचित किया कि उसके बेटे पर बड़ी संख्या में लोगों ने हमला किया है। इसके बाद, मोतीसिंह (पीडब्लू-1), अपने बेटे अंतर सिंह (पीडब्लू-6), भतीजे उत्तमसिंह, गट्टू (पीडब्लू-8) और वासु के साथ घटना स्थल की ओर गये। रास्ते में पंचायत भवन के पास उनकी मुलाकात मानसिंह (पीडब्लू-5) से हुई, जिन्होंने उन्हें यह भी बताया कि उन्होंने घटना देखी है और उन्होंने चार हमलावरों की पहचान की जो, गुलाबसिंह, ठाकुरसिंह, हरिसिंह और शोभाराम है। इसके बाद ये सभी लोग मौके पर पहुंचे। यह विवादित नहीं है कि पुलिस मौके पर आई थी और "देहाती नालिशी" को घटनास्थल पर और पिता मोतीसिंह (पीडब्लू-1) के कहने पर रिकॉर्ड किया गया था। इस "देहाती नालिशी" को पुलिस को दी गई पहली सूचना कहा जा सकता है।

6. इसके बाद, पुलिस ने औपचारिक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की, मामले की जांच की और गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए। मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया और जांच पूरी होने के बाद, 15 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया, जिन पर मुकदमा चलाया गया और कुछ को दोषी ठहराया गया, जैसा कि ऊपर विवरण दिया गया है।

7. हमारे सामने उठाया गया मुख्य तर्क यह है कि तीन अपीलकर्ताओं अर्थात् गजराजसिंह, भगवानसिंह उर्फ भग्गू और पीर सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। पहली सूचना जो "देहाती नालिशी" प्रकृति की है, मृतक के पिता मोतीसिंह (पीडब्लू-1) के कहने पर दर्ज की गई थी। यह "देहाती नालिशी" 14 सितंबर 1992 को रिकॉर्ड किया गया था और उनका कहना है कि रात में दो लड़के उनके घर आए, उन्हें जगाया और फिर उन्हें बताया कि वे उसके बेटे बाबूसिंह के साथ मोटरसाइकिल पर कलमा आ रहे थे, जिसे वह चला रहा था। बाबूसिंह के गाँव में घुसने से ठीक पहले धारिया और तलवार से लैस कुछ लोगों ने बाबूसिंह पर हमला कर दिया। मोटरसाइकिल पर सवार तीनों लोग गिर गए। सभी हमलावरों ने बाबूसिंह को घेर लिया और उन पर धारिया और तलवारों की बारिश शुरू कर दी। बाबूसिंह चिल्लाया। "ओह! शोभा, हे ठाकुर, मत मारो।" पीछे बैठे सवार किसी तरह से भागकर उन्होंने मोती सिंह को सूचित किया। इसके पश्चात वह, अंतर सिंह सहित दोनों सूचना देने वालों के साथ मोटरसाइकिल से घटनास्थल पर गया आैर रास्ते में मानसिंह से मिला, जिसने उन्हें रोका आैर उसने (मानसिंह) मोती सिंह को बताया कि उसने शोभा सिंह (ए-7), ठाकुर सिंह (ए-15), हरि सिंह (ए-5), गुलाब सिंह (ए-12) टोंक के रहने वाले एवं अन्य लोगों ने बाबू सिंह को हथियार आैर तलवार से मारा। इसके पश्चात वह सब घटनास्थल पर पहुचे, पीर सिंह बनाम म० प्र० राज्य (न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता) एवं देखा कि बाबू सिंह मरा पड़ा है। मोती सिंह के द्रारा यह भी बताया गया कि उसके आैर उसके बेटे बाबू सिंह की बड़ी लम्बी दुश्मनी शोभा सिंह के साथ थी, इसलिये उसके बेटे की हत्या हुई।

यह उल्लेख करना उचित होगा कि इस "देहाती नालिशी" में तीन अपीलकर्ताओं में से किसी का भी नाम नहीं लिया गया है।

8. हमारे अनुसार घटनाओं का क्रम ऐसा है कि गट्टू (पीडब्लू-8) सबसे महत्वपूर्ण गवाह होगा क्योंकि वह मृतक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठा था। हालाँकि, उनका कहना है कि वह गाँव से नहीं हैं और किसी भी व्यक्ति की पहचान नहीं कर सका। दरअसल, जब अदालत में बयान दर्ज हुआ तो उसने यह भी नहीं कहा कि बाबूसिंह चिल्लाया, “ओह! शोभा, आेह! ठाकुर, मत मारो”। ऐसे में उसकी गवाही अभियोजन के लिए किसी काम की नहीं है।

9. अगला महत्वपूर्ण गवाह पीडब्लू-5 है। यदि निष्पक्ष रूप से देखा जाये तो अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यू० आर० ललित के अनुसार, हमें यह दर्ज करना चाहिए कि उन्होंने दलील दी थी कि पीडब्लू-5 भी मौजूद नहीं था और वह एक खरीदा हुआ गवाह है। हम उस प्रश्न पर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारे अनुसार भले ही मानसिंह (पीडब्लू-एस) की उपस्थिति स्वीकार कर ली जाए, तब भी उस साक्ष्य का उपयोग हमारे सामने तीन अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता है। अदालत में दर्ज कराए गए बयान में उसने आरोपियों के नाम गजराजसिंह, हरिसिंह, भगवानसिंह उर्फ भग्गू, पीरसिंह, गुलाबसिंह, शोभाराम और ठाकुरसिंह बताए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह इन व्यक्तियों को जानते हैं क्योंकि वे दूर के रिश्तेदार हैं और एक ही क्षेत्र के हैं। वह मानते हैं कि पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता (दं०प्र०सं०) की धारा 161 के तहत उनका बयान दर्ज किया था। यह कथन (प्रदर्श डी-1) जांच अधिकारी (PW-20) के साक्ष्य में साबित हुआ है। पीडब्लू-एस 5 को इस तथ्य का सामना करना पड़ा कि धारा 161 दं०प्र०सं० के अंतर्गत पुलिस द्वारा दर्ज किए गए उसके बयान में पीर सिंह, भग्गू और गजराजसिंह के नामों का उल्लेख नहीं किया गया है। वह कहता है, उसे नहीं पता कि उनके नामों का उल्लेख क्यों नहीं किया गया है। हम इस स्पष्टीकरण को स्वीकार करने में असमर्थ हैं.

10. घटना के तुरंत बाद "देहाती नालिशी" को घटनास्थल पर ही रिकॉर्ड किया गया था। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के अनुसार मानसिंह (पीडब्लू-5) सुबह 4.00 बजे तक घटनास्थल पर मौजूद था। इस दौरान वहां पुलिस मौजूद थी. यह बहुत बेहतर होता अगर "देहाती नालिशी" को पीडब्लू-5 के कहने पर दर्ज किया गया होता जो न केवल एक चश्मदीद गवाह था बल्कि कुछ आरोपियों की पहचान भी कर सकता था। यद्यपि हम इस पहलू को नजरअंदाज कर दें, तथापि यह कि जब 14 सितंबर की सुबह पीडब्लू-5 का बयान दं०प्र०सं० की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किया गया था, तो उन्होंने तीन अपीलकर्ताओं का नाम नहीं लिया था। जब बयान न्यायालय में दर्ज किया गया था सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2019] 6 एस.सी.आर. में उन्होंने कहा कि जब बाबूसिंह पर हमला किया जा रहा था तो उन्होंने (बाबूसिंह ने) पीछे बैठने वालों से कहा कि वे उनके घर जाएं और सूचित करें कि सोभागसिंह के लोग उन्हें पीट रहे हैं। यह तथ्य "देहाती नालिशी" में दर्ज की गई बातों से बिल्कुल अलग है। जिसमें कहा गया है कि बाबूसिंह ने सोभागसिंह और ठाकुरसिंह का नाम लिया। जैसा कि पहले बताया गया है कि गट्टू (पीडब्लू-8) ने अपने बयान में कुछ नहीं कहा है।

11. जब हम पीडब्लू-1 और पीडब्लू-5 के बयानों की तुलना करते हैं तो एक और विसंगति दिखाई देती है। अदालत में पिता मोतीसिंह ने दोहराया है कि मानसिंह (पीडब्लू-5) ने उन्हें बताया था कि सोभागसिंह, ठाकुरसिंह, हरिसिंह और गुलाबसिंह, बाबूसिंह को पीट रहे थे। मोतीसिंह के न्यायालय में दर्ज बयान में भी तीनों अपीलकर्ताओं के नाम नहीं हैं। मानसिंह और तीनों अपीलकर्ता एक ही क्षेत्र के हैं और मानसिंह तीनों आरोपियों को जानता है, और जब वह चार हमलावरों का नाम बता सकता है, तो हमें कोई कारण नहीं दिखता कि वह अन्य हमलावरों का नाम क्यों नहीं बता सकता, अगर उसने वास्तव में उनकी पहचान की थी। घटना स्थल पर. अभियोजन पक्ष की ओर से इस बात का कोई प्रशंसनीय स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि इन तीन आरोपी-अपीलकर्ताओं के नाम "देहाती नालिशी" के साथ-साथ दं०प्र०सं० की धारा 161 (प्रदर्श डी-1) के तहत दर्ज मानसिंह के बयान में क्यों गायब थे। इसके अलावा, जैसा कि ऊपर बताया गया है, मोतीसिंह ने अदालत में फिर से यह नहीं कहा कि मानसिंह (पीडब्लू-5) ने तीन आरोपी-अपीलकर्ताओं की पहचान हमलावरों के रूप में की थी।

12. अत: घटना स्थल पर इन तीनों अभियुक्तों की उपस्थिति के संबंध में गंभीर संदेह उत्पन्न होता है। संदेह का लाभ स्पष्ट रूप से अभियुक्त-अपीलकर्ताओं को मिलना चाहिए। उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हम अपील की अनुमति देते हैं एवं विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांकित 19 नवम्बर, 2001, सत्र वाद संख्या-57 सन 1993 एवं उच्च न्यायालय के निर्णय

दिनांकित 27 जून, 2011, दाण्डिक अपील संख्या 1354 सन 2001 को अपास्त करते हैं। जहां तक अपीलकर्ताओं; पीर सिंह, भगवान सिंह और गजराज सिंह की दोषसिद्धि का संबंध है, उन्हें बरी किया जाता है और निर्देश दिया जाता है कि यदि किसी अन्य मामले में आवश्यक न हो तो उन्हें अविलम्ब मुक्त किया जाए। सभी लंबित आवेदनों का तदनुसार निस्तारण किया जाता है।

देविका गुजराल की अपील स्वीकार की जाती है।

<u>प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त पत्रांक संख्या- 14088/ SUVAS Cell/S.J.O./Allahabad Dated 30-10-2023 के अनुपालन में उपरोक्त निर्णय का हिन्दी अनुवाद मेरे द्वारा किया गया है।

भवदीया,

(अपर्णा त्रिपाठी-I)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या-43, शाहजहॉपुर।